न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया।

सत्र परीक्षण संख्या–960 **सन** 2025
राज्य बनाम मनीष

मु०अ०सं०-**91/2025**
धारा-**137(2),87 बी.एन.एस.**
थाना-**फफूंद** जिला-औरैया

आरोप

मैं पारूल जैन, अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, औरैया, आप अभियुक्त **मनीष** पर निम्नलिखित आरोप आरोपित करती हूँ-

1. यहकि दिनांक 23.03.2025 को समय 23.00 बजे स्थान वहद ग्राम नगला पाठक थाना फफूंद में आप अभियुक्त, वादी मुकदमा सुनील कुमार की नाबालिग पुत्रीगण प्रियंका उम्र 17 वर्ष एवं साक्षी उम्र 16 वर्ष से मोबाइल से सम्पर्क कर उसे बहलाफुसलाकर उसके विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से संरक्षक की सम्मति के बिना अपने स्थान ले गये। आप अभियुक्त का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिंता की धारा 137(2) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यहकि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त, वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्रीगण प्रियंका व साक्षी का व्यपहरण कर उसे इस आशय से अपने साथ ले गये उसके साथ अयुक्त संभोग किया जाए या उसे विवाह करने के लिये विवश किया जाए। आप अभियुक्त का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिंता की धारा 87 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा मैं आपको निर्देशित करती हूँ कि उक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक–06.08.2025

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

दिनांक–06.08.2025

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

Digitally signed by Parul Jain
Date: 2025.08.06 17:27:28 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1, Auraiya

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया।</u>

सत्र परीक्षण संख्या–**960 सन 2025**
राज्य बनाम मनीष

मु०अ०सं०-**91/2025**
धारा-**137(2),87 बी.एन.एस.**
थाना–**फफूंद** जिला–औरैया

<u>दिनांक–06.08.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त **मनीष** स्वयं उपस्थित तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

उभयपक्षों को आरोप विरचन पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क दिया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 137(2),87 बी.एन.एस. का आरोप विरचित किया जाए।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन का कोई औचित्य नहीं है। अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त को उन्मोचित किया जाए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 137(2),87 बी.एन.एस. में आरोप विरचित करने का पर्याप्त आधार है।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 137(2),87 बी.एन.एस. में आरोप विरचन हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक–06.08.2025

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

पत्रावली लंच बाद पेश हुयी। अभियुक्त मनीष के विरूद्ध धारा 137(2),87 बी.एन.एस. में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की। सूची से साक्षीगण तलब हो।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 06.10.2025 को पेश है।

दिनांक–06.08.2025

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।